भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 744
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कैंसर की दवाओं की ऊंची कीमतें

744. सुश्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कैंसर की दवाओं की उच्च कीमत के बारे में जानकारी है, यदि हां, तो उन्हें आम जनता के लिए किफायती और सुलभ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) क्या राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा कैंसर की दवाओं पर मूल्य सीमा या विनियमन लगाए गए हैं, यदि हां, तो आवश्यक दवाओं की सूची में कितनी दवाएं शामिल हैं, और मूल्य में कटौती के निर्धारण के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;
(ग) कैंसर की दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दर पर या निःशुल्क कैंसर की दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट औषधियों के संबंध में औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। अनुसूचित दवाओं (ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों) के विनिर्माताओं को अपने उत्पादों की बिक्री एनपीपीए द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य (प्लस लागू माल और सेवा कर) के भीतर करनी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 में यथा परिभाषित नई औषधियों का खुदरा मूल्य निर्धारित करता है। किसी भी नई औषधि का खुदरा मूल्य आवेदक विनिर्माता और विपणनकर्ता पर लागू होता है, जिन्हें एनपीपीए द्वारा अधिसूचित मूल्य के भीतर नई औषधि की बिक्री करना अपेक्षित है। गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मामले में, कोई भी विनिर्माता अपने द्वारा शुरू की गई औषधियों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी)

निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि, डीपीसीओ, 2013 के अनुसार, किसी भी विनिर्माता से यह अपेक्षा है कि वह किसी गैर-अनुसूचित औषधि के एमआरपी में पिछले 12 महीनों के दौरान व्याप्त एमआरपी के 10% से अधिक की वृद्धि न करे। उपरोक्त के अतिरिक्त, जनहित में कुछ परिस्थितियों में किसी दवा की अधिकतम कीमत भी निर्धारित की जा सकती है।

डीपीसीओ, 2013 की उपरोक्त अनुसूची में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम), 2022 शामिल है। एनएलईएम, 2022 में 63 कैंसर-रोधी दवाएं शामिल हैं, जिनमें इम्यूनोसप्रेसिव और उपशामक परिचर्या में उपयोग की जाने वाली दवाएं शामिल हैं।

कैंसर की दवाओं को आम जनता के लिए किफायती और सुलभ बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एनपीपीए ने एनएलईएम के तहत 131 अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं की अधिकतम कीमतें निर्धारित की हैं। इनमें 111 फॉर्मूलेशन शामिल हैं, जिनकी कीमतें एनएलईएम, 2015 के तहत निर्धारित की गई थीं। एनएलईएम, 2022 के तहत इनके पुनर्निर्धारण किए जाने से एनएलईएम, 2015 के तहत निर्धारित अधिकतम कीमतों में लगभग 21% की कमी आई है, जिससे मरीजों को लगभग 294.34 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई है।

(ii) एनपीपीए ने नई दवाओं के खुदरा मूल्य निर्धारण से संबंधित डीपीसीओ, 2013 प्रावधानों के तहत आवेदक विनिर्माण और विपणन कंपनियों के 28 कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशनों के खुदरा मूल्य निर्धारित किए हैं।

(iii) इसके अलावा, एनपीपीए ने जनहित में 42 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर 30% व्यापार मार्जिन की सीमा निर्धारित की है, जिसके परिणामस्वरूप इन दवाओं के 526 ब्रांडों के एमआरपी में औसतन लगभग 50% की कमी आई है और मरीजों को लगभग 984 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई है।

(iv) सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में तीन कैंसर-रोधी दवाओं पर सीमा शुल्क शून्य कर दिया है और जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी है तथा एनपीपीए ने कंपनियों को उपभोक्ताओं को कर लाभ देने के लिए एमआरपी कम करने के निर्देश जारी किए हैं।

(v) वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में चिन्हित कैंसर-रोधी दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट/रियायत की भी घोषणा की गई है।

(ग): दवाओं के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के उद्देश्य से, औषध विभाग वित्तीय वर्ष 2027-28 तक की योजना अवधि के साथ 15,000 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ औषध संबंधी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत 54 कैंसर-रोधी दवाओं का विनिर्माण किया जा रहा है।

(घ): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत, लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक या तृतीयक परिचर्या अस्पतालीकरण के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य आश्वासन/बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। एबी-पीएमजेएवाई के तहत उपचार पैकेज व्यापक हैं और दवाओं और नैदानिक सेवाओं सहित उपचार संबंधी विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। इसके अलावा, प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से गुणवत्ता वाली दवाओं की बिक्री उन दरों पर की जाती हैं जो आमतौर पर बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की कीमतों की तुलना में 50% से 80% कम होती हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की उपचार संबंधी वहनीय दवाइयां और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) पहल के तहत, कुछ अस्पतालों/संस्थानों में स्थापित अमृत फार्मेसी स्टोर्स के माध्यम से कैंसर, हृदयवाहिका रोगों और अन्य बीमारियों के उपचार के लिए दवाएं, प्रत्यारोपण, सर्जिकल डिस्पोजेबल सामग्रियां और अन्य उपभोग्य वस्तुएं आदि बाजार दरों की 50% तक की महत्वपूर्ण छूट पर प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय आरोग्य निधि और स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) की एकछत्र योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो कैंसर सहित बड़ी जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय आरोग्य निधि की एकछत्र योजना के तहत स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष के अन्तर्गत 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और उपचार लागत के एक भाग के भुगतान के लिए एचएमडीजी के तहत 1.25 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है।

*****